निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 268) पटना, शनिवार, 23 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–02/2019/1520 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

(बिहार अधिनियम 2, 2019)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019

प्रस्तावनाः—चूँकि संविधान (एक सौ तीनवाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा भारत संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 15 में खंड (6) एवं 16 में खंड (6) के अंतः स्थापन के अनुशरण में और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जो बिहार सरकार में पदों तथा सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्त्तमान आरक्षण स्कीम के अधीन आच्छादित नहीं हैं, को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराना और;

बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्याधीन सेवाओं एवं पदों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम का प्रावधान करना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) **''नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी''** से किसी स्थापना में सेवा या पद के संबंध में, अभिप्रेत है नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों की दशा में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) **''विहित''** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) **''स्थापना''** से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार,

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम–6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गयी हो और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो और

(3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान;

(घ) **''सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना''** से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :—

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) **''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग''** से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम F.No.36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय–समय पर यथा संशोधित किया जाय ;

(च) **''भर्त्ती वर्ष''** से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती/नामांकन की जानी हो;

(छ) **''आरक्षण''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) **''गुणागुण सूची''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;

(झ) "**राज्य**" में सम्मिलित है बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

3. प्रयोज्यता (नियुक्ति करने के संबंध में)।– यह अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगा :–

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;

(ड़) जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;

(च) 45 (पैंतालीस) से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;

(छ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति, और–

(ज) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे,

4. सीधी भर्त्ती के लिए आरक्षण।–

(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में, जो सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली हो, 10 प्रतिशत रिक्तियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

5. शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण ।–

(1) पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

(3) बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी गई आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा, समय–समय पर दी गई संशोधित आरक्षण प्रतिशत के सिवाय कोई अन्य आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

6. अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति।– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई सदस्य, जो नामांकन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के चलते नामांकन प्रभारी पदाधिकारी के किसी कार्रवाई द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है तो वह राज्य सरकार को इस तथ्य की सूचना दे सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार, वैसे अभिलेखों को मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

7. सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिये किसी कार्यवाही का वर्जन ।– कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किये जाने के लिए आशायित हो।

8. शास्ति।– यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी या नामांकन प्रभारी पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में नियुक्ति/नामांकन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे कारावास से जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

9. कठिनाईयों का निराकरण।– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनिमय के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए, आवश्यक समझे।

10. नियम बनाने की शक्ति।– राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी:

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम

में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्ररूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।''

11. विनिमय।– यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले इस अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्त्ती वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी।

12. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री या किया गया या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात से होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे:

परंतु तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहाँ तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हों, लागू रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

---

23 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–02/2019/1521 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 2, 2019)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

(Bihar Act 2, 2019)

The Bihar Reservation in vacancies in posts and in services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) ACT, 2019.

AN
ACT

The Bihar Reservation in vacancies in posts and in services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) ACT, 2019.

Preamble :-

WHEREAS in-pursuance of insertion of Clause (6) and (6) in article 15 and 16 respectively of the Constitution of India vide the Constitution (One Hundred & Third Amendment) Act 2019, it has to be provided reservation on preferential basis to the Economically Weaker Sections (EWSs) of the State, who are not covered under the existing scheme of reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes to receive the benefit of reservation on a preferential basis in the posts and services in the Government of Bihar and admission in Educational Institutions;

AND whereas it has been decided by the Government of Bihar to provide 10% reservation to EWSs in posts and services in the Government of Bihar and in admissions in the Educational Institution; and

Whereas it is necessary and expedient to provide an Act for adequate representation of Economically Weaker Sections in posts, services under the State and in admissions in Educational Institutions;

Now, therefore, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the 70th year of republic of India are follows : -

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires -*

(a) *"Appointing authority/competent authority"* means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in the case of educational institutions.

(b) *"Prescribed"* means prescribed by rules made under this Act and published in the Official Gazette ;

(c) *"Establishment"* means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-

(1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being enforce, or

(2) a cooperative institution registered under the Bihar Co-operative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and

(3) Universities and colleges affiliated to the universities primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and

(4) an establishment in public sector.

(d) *"Establishment in public sector"* means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –

(1) The State Government or any department of the State Government.

(2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.

(e) *"Economically Weaker Sections"* means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.

(f) *"Recruitment year"* means the calendar year during which a recruitment/admission is actually to be made.

(g) *"Reservation"* means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.

(h) *"Merit list"* means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.

(i) *"State"* includes the Government , the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.

3. *Applicability for making recruitments :- (1) This act shall not apply in a relation to –*

(a) Any employment under the Central Government.

(b) Any employment in Private Sector.

(c) Any employment in domestic services

(d) Those which are filled up by transfer or deputation.
(e) Those which fall vacant when a person goes on deputation.
(f) Temporary appointments of less than 45 days duration.
(g) Appointments made on compassionate ground on the death of a government servant while in service.
(h) Such other posts as the State Government may, from time to time, by order of specify.

4. *Reservation for direct recruitment:-*

(1) Ten percent of vacancies will be reserved for Economically Weaker Sections in all appointments to Services and Posts in an establishment which are to be filled up by direct recruitment.

The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Acts in the State of Bihar.

Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act.

(2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted against the open merit category.

5. *Reservation for Admission in the Educational Institutions:-*

(1) Ten percent of seats will be reserved for Economically Weaker Sections for admission in any educational institution fully or partially aided by the state government.

The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Acts in the State of Bihar.

Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act.

(2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted in open merit category.

(3) No other reservation shall be made except reservation percentage granted by the concerned educational institute and amended reservation percentage granted by them from time to time for the candidates from outside the state of Bihar.

6. *Power of State Government to call for records.—* Any member of the Economically Weaker Sections who is adversely affected by any act of an authority in-charge of admission on account of non-compliance of the provisions of this Act or the Rules made there under, may bring the fact to the notice of the State Government and upon application made by him, the State Government may call for such records or take such action thereon as it may deem fit.

7. *Bar to any proceeding for action taken in good faith.—* No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for any thing which is done or intended to be done in good faith under this Act.

8. *Penalty.—* If any appointing authority or in charge of admission makes an appointment or admission in contravention of any of the provision of this Act, he shall be punishable with such fine which may extend to one thousand rupees or such imprisonment for three months or both.

9. *Removal of difficulties.—* If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Act, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act and as it may consider necessary for removing the difficulty.

10. *Power to make Rules.—*The State Government may make rules for carrying out purposes of this Act:

Provided that every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should

not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

11. *Exchange.—* If in any recruitment year or admission for a session candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Act to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.

12. *Overriding effect of the Act.—* Not withstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being in force any judgment or decree of a court, any order notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued, the provision of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being in force, any order notification, circular, scheme resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be enforce and shall be deemed to have been made issued or passed under this Act.

By Order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 268-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in